



अंत्योदय—सरल



हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम

पिछड़ा वर्ग हेतु महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन (योजना)

पात्रता :

1. आयु 18–55 वर्ष के बीच हो।
2. आवेदक हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
3. आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में 3,00,000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक पिछड़ा वर्ग सम्बन्धित हो।

उपलब्ध लाभ :

1. निगम केवल महिला उद्यमियों को लक्ष्य ग्रुप अर्थात् प्रत्यक्ष रूप से या स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से, प्रति लाभार्थी 50,000/- रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी।

आवश्यक दस्तावेज :

1. पहचान/नागरिकता का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक):
 - आधार कार्ड।
2. आयु का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक):
 - आधार कार्ड।
3. निवास सबूत/पता सबूत/स्वामित्व सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक):
 - राशन कार्ड।
 - हरियाणा का अधिवास प्रमाण-पत्र।
4. जाति/धर्म का सबूत (निम्नलिखित में से कोई एक):



अंत्योदय—सरल



- आरक्षित प्रवर्ग हेतु जाति प्रमाण-पत्र।
5. आवेदक फोटो।

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रु0 10/-	रु0 10/-

सेवा का अधिकार समय सीमा : सेवा का अधिकार के तहत नहीं है।